न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—54 / 2020 / 223 आर.टी.एक्ट (2020 / 00054)

1. लालाराम पुत्र बजंरगदास, जाति साधू, निवासी बोराड़ा, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. कैलाशदास पुत्र मदनलाल जाति साधू निवासी देवानी, तहसील व जिला टोंक।

अपीलांट्स

बनाम

1. सीतादेवी पत्नी रामप्रसाद पुत्री स्व0 बजरंगदास, जाति साधू निवासी बोराडा हाल निवासी काटोली, तहसील मालपुरा जिला टोंक।
2. प्रेमदेवी पत्नी मोहनदास पुत्री स्व0 बजरंगदास, जाति साधू निवासी बोराडा हाल निवासी काटोली, तहसील मालपुरा जिला टोंक।
3. श्रीमती गोकली पत्नी स्व0 बजरंगदास (नाम तर्क)
4. भंवरलाल पुत्र बजरंगदास
5. राधेश्याम पुत्र बजरगदास
6. श्रीमती सुशीला पत्नी गोपाल
7. राजू पुत्र गोपाल

   समस्त जाति साधू, निवासी बोराड़ा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।
8. नन्दकिशोर पुत्र रामस्वरूप
9. किशनलाल पुत्र महावीर

   दोनों जाति माली, निवासी ग्राम बोराड़ा तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 उपखण्ड अधिकारी सरवाड़, राजस्व वाद संख्या 64 / 2018

उपस्थितः—

1. श्री आशीष जैन, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8, 9
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10
5. रेस्पोडेंट रांख्या 4 से 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 64 / 2018 में पारित निर्णय / डिक्री दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 व 209 बाबत खातेदारी घोषणा एवं इंद्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रस्तुत वाद—पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 070.5.2018 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दर्ज कर दिनांक 22.6.2018 की पेशी नियत की गई है एवं दिनांक 22.6.2018 को न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प हेतु पेशी दिनांक 30.6.2018 नियत की गई। पेशी दिनांक 30.6.2018 को आगामी पेशी प्रकरण में दिनांक 8.8.2018 की नियत की गई एवं उक्त पेशी पर वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 व रेस्पोडेंट संख्या 3 की हाजरी अंकन करते हुए मात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को सुना जाकर वादग्रस्त आराजीयात में संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञप्ति प्रदान किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर एवं रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 07 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 एवं 8, 9 की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट संख्या 2 कैलाशदास पुत्र मदनलाल साधू विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी/अपीलांट का उक्त आराजीयात में हित निहित है किंतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थी/अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 से प्रभावित पक्षकार है इसलिए प्रार्थी/अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2018 के विरूद्ध न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 7.5.2018 को प्रस्तुत राजस्व वाद में दिनांक 30.6.2018 को नोटिस जारी कर पेशी दिनांक 8.8.2018 की नियत की गई है एवं उक्त पेशी से पूर्व ही दिनांक 30.6.2018 को राजस्व वाद को डिक्री किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारान अपीलांट संख्या 2 को पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके आधार पर अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है। जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 पारित किए गए है। रेस्पोडेंट द्वारा धमकी दिए जाने एवं बुवाई में रूकावट किए जाने पर अपीलांटस द्वारा आपत्ति की गई जिस पर उनके द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 को पारित होने व उक्त जमीन को स्वयं के हिस्से में आने बाबत धमकाया गया। अपीलांट संख्या 1 को नोटिस दिनांक 8.8.2018 को जारी करने के उपरांत भी 30.6.2018 को ही बिना तामिली के निर्णय पारित किया गया है। जिस पर अपीलांटस द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया व प्रमाणित प्रति तैयार कर अपीलांटस को प्रदान कि गई जिसके पश्चात अन्य दस्तावेज व रूपए पैसों की व्यवस्था कर अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने वहस अपील में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में पूर्व में एक आवेदन पत्र जरिए राजीनामा अपील विड्रो वावत पेश किया गया था लेकिन राजीनामे में दोनों पक्षकारान द्वारा शर्तो का पालन नहीं किया गया अथवा राजीनामें में सहमत नहीं होने के कारण अव उस प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में खारिज समझा जावे तथा पढ़ा जावें आदेश 23 नियम 1 व 2 में वादी अपने वाद पत्र को किसी भी स्तर पर लौटा सकता है ठीक उसी तरह अपीलांट अपने आवेदन–पत्र को अंतिम निस्तारण से पूर्व किसी भी स्तर पर वापस ले सकता है। इस संबंध में आर0वी0जे 2011 पेज 350 जिसमें इसी बावत कि अपीलांट अपनी अपील में अगर कोई आवेदन पत्र पेश करता है तथा वाद मं उस आवेदन पत्र को वापस लेना चाहता है तो ले सकता है अथवा नोटप्रेस में खारिज करवा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्व0 बजरंगदास के पैतृक एवं संयुक्त हिस्से की आराजी की घोषणा के लिए पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को प्रतिवादी के रूप में जोडा गया तथा 1/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा चाही गई। दावा दिनांक 7.5.2018 को पेश किया गया जिसके बाद पेशी 22.6.2018 की पेशी दी गई उसके बाद 30.6. 2018 राजस्व केम्प हेतु नियत की गई दिनांक 30.6.2018 से 8.8.2018 नियत की गई परंतु आगामी देने के बावजूद बिना किसी सभी पक्षकारान की उपस्थिति के दावे के बावजूद बिना किसी सभी पक्षकारान की उपस्थिति के दावे को सहमति के आधार पर वादी तथा कुछ प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज करते हुए डिक्री कर दिया गया। पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 1,5 व 6 के हस्ताक्षर करवाए गए परंतु रिकार्ड पर न तो कोई लिखित राजीनामा पेश हुआ और न ही लिखित सहमति दी गई उसके बावजूद दावा डिक्री किया गया। वादी द्वारा जिस आराजी का दावा पेश किया गया उसमें जमीन का बैचान खातेदार द्वारा पूर्व में किया जा चुका था लेकिन अपीलांट संख्या 2 कैलाशदास का नाम नामांतकरण संख्या 1810 दिनांक 16.8.2016 में अंकन किया हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी उसको पक्षकार नहीं बनाया गया कैलाशदास द्वारा आराजी का बैचान आगे भी किया गया लेकिन उनको भी पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा नामांतकरण एवं जमाबंदी की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तारीख पेशी 30.6.2018 से 8.8.2018 करने के पश्चात लिखते हुए आदेश दिया गया वह गलत है क्योंकि पक्षकार की तामिल पूर्ण नहीं हुई थी। अपीलांट लालाराम आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद ना तो उसकी तामील पूर्ण करवाई गई और ना ही आर्डरशीट पर उपस्थिति दर्ज हुई उसने अपने हिस्से का पूर्व में बैचान कर दिया जिसका नामांतकरण भी खुल गया था। कैलाशदास पुत्र मदनलाल जिसका नाम रिकार्ड में सन 2016 में आने के बावजूद भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आए तथा तथ्यों को छिपाते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विद्वान अभिभाषक ने अपने समर्थन में आर0वी0जे (18)2011 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के जवाब में कथन किया प्रार्थीगण वाद प्रस्तुती के समय न तो व्यथित पक्षकार था तथा ना ही वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने का कोई विधिक हक अथवा अधिकार प्राप्त है। जबकि स्वयं अपीलांटस जिस तथाकथित निकय पत्र दिनांक 7.6.2018 को आधार बना कर उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि तथाकथित दस्तावेज ही गैर-कानूनी एवं शून्य दस्तावेज की श्रेणी को होने से अपीलांटस किसी भी हद तक व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते है, तथा ना ही अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना-पत्र अथवा अपील में यह स्पष्ट किया है कि निर्णय एवं डिक्री का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मूल अपील खारिज किए जाने के आदेश फरमावें, जो कि न्यायसंगत एवं विधि सम्मत होगा। अपने समर्थन में 2020 आर0वी0जे पेज 569 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

8. रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी। उक्त निर्णय न्याय आपके द्वारा में पारित आदेश है जिसकी हर किसी को सूचना रहती है तथा फैसला भी केवल पूर्ववर्ती किया गया है। अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत किया जाने से निरस्त किया जाए।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस अपील में आगे कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भमि वाके ग्राम बोराड़ा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 103 में दर्ज खसरा नम्बर 86 एवं खाता संख्या 104 में दर्ज खसरा नम्बर 62, 85, 172, 770, 920, 921, 922, 923, 924 एवं खाता संख्या 397 में दर्ज खसरा नम्बर 95 जो कि रेस्पोडेंट/वादीया के पिता स्व0 श्री बजरंगदास की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है, तथा उक्त खातेदार बजरंगदास की मृत्यु पश्चात वर्णित आराजीयात की विरासत केवल प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकृत कर रिकार्ड में अंकन कर दिया है। जबकि वादीया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्वतः ही कानूनन संयुक्त खातेदारी अधिकार निहित हो चुके है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा बदनीयति पूर्वक वादीया को उनके संयुक्त हक व हिस्से से बेदखल करने पर आमादा होने एवं रिकार्ड में केवल उनका नाम दर्ज होने एवं वादग्रस्त आराजी का अन्यत्र बय-बैचान एवं हस्तांतरण करने पर आमादा होने पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन से तलब किया जाकर प्रकरण को न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान राजस्व केम्प बोराड़ा में दिनांक 30.6.2018 को तलब किया गया उक्त दिनांक को वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुए तथा पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दावे का निरस्तारण किए जाने एवं लोक अदालत की भावना से वाद-पत्र को आपसी सहमति से स्वीकार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में उनके हक व हिस्से का खातेदार उदघोषित किया जाकर वादपत्र डिक्री किया गया है। रेस्पोडेंटस/वादी संख्या 1 व 2 जो कि पूर्व खातेदार बजरंगदास की जायन्दा पुत्रियां है तथा प्रत्येक वारिस पुत्र –पुत्रियां एवं पत्नी को पैत्रिक खातेदारी भूमि में कानूनन स्वतः ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 एवं 8 के अधीन प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से संयुक्त खातेदार काश्तकार हो चुके है, इस प्रकार वर्तमान अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंटस संख्या 6 एवं 8 द्वारा आपसी मिली भगती कर रेस्पोडेंटस के विधिक खातेदारी हकों एवं अधिकारों की दुर्भावना से वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण दिनांक 7.6.2018 को वाद के लंबित रहते अपीलांटस ने अपने पक्ष में होना अपील के पैरा 3 में किया है, कि जिससे वर्तमान अपीलांटस द्वारा उनके पक्ष में कराया गया हस्तांतरण प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य दस्तावेज की श्रेणी में होने से मौजूदा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष कानूनन पोषणीय नहीं होकर खारिज किए जाने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने समर्थन में 2017 आर0बी0जे पेज 141, 2018 आर0बी0जे पेज 725, 2020 आर0बी0जे पेज 569 के न्यायिक दृष्टांतों को पेश किया है।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निरतारण करना उचित समझते है। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त आराजी को अपीलांट ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद करना प्रतीत होता है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दावा पेश करते समय अपीलांट संख्या 2 को दावे में पक्षकार मुर्तिब नहीं किया इसलिए अपीलांट संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी सरवाड के निर्णय दिनांक 30.6.2018 प्रभावित पक्षकार है, इसलिए प्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 2 का धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।**

11. अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था प्रार्थी धारा 96 जा0दी के साथ सवत अपील पेश कि है अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा करते समय अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का स्वीकार करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

12. हमने अपील के गुणावगुणों पर उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रकरण में पूर्व में एक आवेदन पत्र जरिए राजीनामा अपील विड्रो बाबत पेश किया गया था लेकिन राजीनामे में दोनों पक्षकारान द्वारा शर्तो का पालन नहीं किया गया अथवा राजीनामें में सहमत नहीं होने के कारण अब उस प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में खारिज करवाना चाहते है, **इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र अपील विड्रो किये जाने बाबत् को खारिज किया जाता है।** प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ ने केम्प कोर्ट में राजीनामा से निर्णय किया है जिसमें सभी पक्षकारों की सहमति बाबत हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी पक्षकारों को समुचित तामिल नहीं थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से तथा अपीलांट संख्या 2 जो कि अपीलांट संख्या 1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादग्रस्त आराजी का क्रेता होकर काबिज काश्त है को बिना पक्षकार मुर्तिब किए पत्रावली को केम्प कोर्ट में नियत कर बिना अपीलांट को तामिल करवाए बिना अपीलांटस के सहमति लिए पत्रावली को राजीनामे से निर्णय करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे वाद पत्र में अपीलांट संख्या 2 कैलाश दान पुत्र मदनलाल जाति साधू को प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर वाद को पुनः दर्ज कर पक्षकारान की समुचित रूप से तामील करवा कर प्रतिवादीगण से जवाब प्राप्त कर दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकियात पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए तनकिवाईज पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

13. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 64/2018 में पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड को इस आशय से प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांट संख्या 2 कैलाश दान पुत्र मदनलाल जाति साधू को वाद में प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर वाद को पुनः दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण को समुचित तामिल करवाकर प्रतिवादीगण से जवाब प्राप्त कर दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकियात पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.1.2023 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर